उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-20/789/26-1-2014-सक-1

लखनऊ : दिनांक: 04 अप्रैल, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-381/ज0जा0वि0/स्था0/2013-14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में की गयी संस्तुतियों के क्रम में श्री शारदा प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, छाउछ, लखीमपुरखीरी, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2013-14 के मध्य सत्र में दिनांक 31-03-2014 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय श्री शारदा प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, छाउछ, लखीमपुरखीरी को पूर्ण शिक्षा सत्र, 2013-14 में दिनांक 30-06-2014 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

राम गोपाल मौर्य
विशेष सचिव।

पृ0सं0-20/789(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र संख्या-381/ज0जा0वि0/स्था0/2013-14, दिनांक 24-02-2014 के संदर्भ में।
3- कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी ।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, छाउछ, लखीमपुरखीरी ।
6- श्री शारदा प्रसाद गुप्ता,सहायक अध्यापक(एल0टी0),राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,छाउछ,लखीमपुरखीरी।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in